

क्र.सं.	विवरण	ऑफ़रें
1	क्षेत्रफल	94163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या	
अ	2001 के जनगणना के अनुसार	8.3 करोड़
ब	2011 के जनगणना के अनुसार	10.38 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)	881 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.
अ	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)	1102 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.
ब	* गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल) (राष्ट्रीय औसत = 27.5 प्रतिशत)	41.4 प्रतिशत
4	साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	47 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	63.82 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)	52
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)	61.6 वर्ष
8	गिन्नी (ग्रामीण) ¹	
अ	ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.30)	0.20
ब	शहरी (संपूर्ण भारत = 0.37)	0.33
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2010-11 वर्तमान दर पर	213073 करोड़
10	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी., सी.ए.जी.आर. (2001-02 से 2010-11)	बिहार 11.44 प्रतिशत सामान्य कोटि के राज्य 11.32 प्रतिशत
11	जी.एस.डी.पी. ² सी.ए.जी.आर. ³ (2001-02 से 2010-11)	बिहार 15.61 प्रतिशत सामान्य कोटि के राज्य 14.68 प्रतिशत
12	जनसंख्या वृद्धि (2001 से 2011)	बिहार 25.07 प्रतिशत सामान्य कोटि के राज्य 17.56 प्रतिशत

¹ यह आंकड़े असमान्य वितरण का माप हैं जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

² जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद

³ सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक विकास दर

परिशिष्ट 1.1

ब क्रम सं०	विवरण	वित्तीय आंकड़ें		
		आंकड़ें (प्रतिशत में)		
1	सी.ए.जी.आर.	2001-02 से 2009-10		2001-02 से 2010-11
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	बिहार
	क राजस्व प्राप्तियों का .	15.20	17.41	18.25
	ख अपने कर राजस्व का	14.53	16.90	17.44
	ग गैर कर राजस्व का	13.87	24.64	14.69
	घ कुल व्यय का	13.53	16.02	16.31
	ड. पूँजीगत व्यय का	22.61	33.14	32.22
	च शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.73	14.69	14.05
	छ स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	11.97	13.09	12.53
	ज वेतन एवं मजदूरी का	11.45	7.85	8.00
	झ पेंशन का	14.09	8.35	11.67

स्रोत: वित्तीय आँकड़ा वित्त लेख पर आधारित आँकड़े हैं। बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं एन एस एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एनटीटीपी:// योजना आयोग निक.ईन/डाटा/डाटावेस/डाटा 0910/टेब/2021 पीडीएफ), गिन्नी गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्राक्कलन एवं एनएसएसओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004-05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिबंधक का कार्यालय: गृह मंत्रालय, आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11, शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन जनवरी 2011), जनसंख्या घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय: गृह मंत्रालय एवं शिक्षा) अवधि 2001-02 से 2009-10 या 2010-11 के मामले में।

सरकारी लेखे की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संघित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संघित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्तों को निर्गत कर इकरट्ट किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संघित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की संघित निधि" कहा जाता है ।

भाग II : आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैया करता है । तत्पश्चात विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संघित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III : लोक लेखा : कुछ विशेष लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उर्वर, पेपण इत्यादि जो संघित निधि का अंध नहीं हैं, से संबंधित प्राप्तियों एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में विभक्त है । भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारंशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । भाग एक में भारत नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण : सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संघीय आंकड़े, जो वर्ष के अंत में रहता है, विवरणी में दिखाये गए हैं । ये परिसंपत्तियाँ सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों को दर्शाने वाली उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय के आँकड़ों के लिए मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं । लेखा नीति के तहत परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाया गया है ।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण : यह सरकार द्वारा चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीनों भागों-संघित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरणी है । इसके अतिरिक्त राजस्व एवं पूँजीगत लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों को संघित निधि के तहत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि) : इसके अंतर्गत राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियों एवं सरकार द्वारा प्राप्त की गई उधार राशि जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ सम्मिलित हैं ।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि) प्रयोजनवार एवं प्रकृतिवार : यह विवरण न केवल प्रयोजनवार व्यय को दर्शाती है बल्कि व्यय की गतिविधि की प्रकृति (विषय शीर्षवार व्यय) को भी सारंशीकृत करती है ।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, परिशिष्ट-1 भी सम्मिलित है जो सरकार के रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश का विवरणी है ।	
भाग II तीन भागों में विभक्त है ।	
भाग I में छः विवरणी शामिल है जो निम्नलिखित हैं-	
विवरण संख्या 5	प्रणामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरण प्रणामी पूँजीगत व्यय को कार्यकारी शीर्षवार बतलाता है जिसकी सम्मिलित विवरण-1 में दर्शाया गया है ।

परिशिष्ट 1.2

विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार द्वारा ली गई उधार स्वरूप बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशगियों सम्मिलित है। इन दोनों को मिला कर राज्य सरकार का लोक ऋण निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी अन्य दायित्वों जो लेखा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के शेषों को भी दर्शाता है। लोक लेखा के संबंध में सरकार निधि के संरक्षक या न्यासी के रूप में कार्य करती है। अतएव यह लेखा सरकार के दायित्वों को संस्थापित करती है। इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी टिप्पणी अर्थात् निवल ब्याज प्रभार जिन्हें राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाता है का भी उल्लेख है।
परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखे की रूपरेखा	
विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों को विवरण संख्या 1 में दर्शाया गया है तथा तत्संबंधी वसूलियाँ एवं संवितरणों को विवरण संख्या 2,3 तथा 4 में दर्शाया गया है। यहाँ कर्ज एवं पेशगियों को प्रभागवार-ऋणवार समूह में सारांशीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत बकाये कर्ज की वसूलियाँ संबंधी टिप्पणी सम्मिलित है जिसके विस्तृत आँकड़ों का संधारण महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।
विवरण संख्या 8	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण : यह अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा समूहवार संघटित किया गया है। इसमें वस्तु के रूप में दिये गए अनुदान पर टिप्पणी भी अंकित है।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण : सरकार द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों की ऋण वापसी हेतु दी गयी गारंटियों एवं वर्ष के अंत तक लंबित प्रत्याभूत राशियों का उल्लेख इस विवरणी में प्रदर्शित किया गया है।
विवरण संख्या 10	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण : इस विवरण के अंतर्गत सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को विस्तृत उल्लेख है।
भाग II: इस भाग में नौ विवरण सम्मिलित हैं जो लघुशीर्षवार हुए संव्यवहारों को दर्शाता है जो खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरणों में सदृश अनुकूल है।	
विवरण संख्या 11	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत रूप में दर्शाता है।
विवरण संख्या 12	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय को विस्तृत रूप में दर्शाता है। गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में दर्शाया गया है।
विवरण संख्या 13	पूँजीगत व्यय का ब्योरेवार विवरण : इसके अंतर्गत सरकार के पूँजीगत व्यय का विस्तृत उल्लेख है। गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष के अंत तक संचयी पूँजीगत व्यय का वर्णन भी सम्मिलित है।
विवरण संख्या 14	सरकारी निवेशों का ब्योरेवार विवरण : विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी और डिबेंचर के रूप में सरकारी निवेशों की विगत एवं चालू वर्ष की स्थिति को इस विवरणी में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत शेयरों का प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश का भी उल्लेख किया गया है।
विवरण संख्या 15	उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्योरेवार विवरण : सरकार द्वारा प्राप्त उधार एवं अन्य दायित्वों (बाजार ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज) को लघुशीर्षवार, उसकी परिपक्वता एवं ऋण की वापसी संबंधी रूपरेखा इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है। यह विवरण खंड 2 के भाग 1 में विवरण संख्या 6 का विस्तृत रूप है।

परिशिष्ट 1.2

विवरण संख्या 16	सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरेवार विवरण : सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरा, ऋण शेषों में बदलाव, ऋण का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त व्याज आदि को इस विवरण में दर्शाया गया है। इसमें योजनागत कर्ज को अलग से दर्शाया गया है। यह विवरणी खण्ड 2 के भाग 1 के विवरणी 7 का विस्तृत रूप है।
विवरण संख्या 17	व्यय हेतु निधियों के स्रोत तथा उनके अनुप्रयोग (राजस्व लेखों को छोड़कर) का ब्योरेवार विवरण : पूंजीगत एवं अन्य व्यय (व्यय शीर्ष राजस्व लेखा को छोड़कर) व्यय के लिए निधियों के स्रोतों का उल्लेख इस विवरणी में किया गया है।
विवरण संख्या 18	आकरिमकता निधि तथा लोक लेखा के संव्यवहारों को ब्योरेवार विवरण : इस विवरण के अंतर्गत वर्ष के दौरान आकरिमकता निधि में हुए बदलाव, निधि को विनियोजन, व्यय एवं वापस प्राप्त किये गये राशि को दर्शाया गया है। इसमें लोक लेखा के संव्यवहारों को भी विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।
विवरण संख्या 19	उद्दिष्ट निधियों के निवेशों को ब्योरेवार विवरण : उद्दिष्ट निधियों से लोक लेखा में निवेशों की विस्तृत ब्योरा इस विवरण में दर्शाया गया है।

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (परिशिष्ट 1.2 का भाग ख) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी. पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) वर्तमान दर पर

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	103317	118687	150709	175245	213073
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	23.66	14.88	26.98	16.28	21.59

स्त्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार

नोट : 2008-09 के आंकड़े अपर्बधिक अनुमान पर हैं, 2009-10 त्वरित अनुमान एवं 2010-11 अग्रिम अनुमान पर है।

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृत्ति एवं प्रतिकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैं।

शब्द	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में प्राचल (X) की उत्प्लावकता	प्राचल (X) की वृद्धि दर/प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	समाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान / [पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व] * 100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2] * 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति - विविध पूँजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्ति - घाटा मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

[बिहार अधिनियम 25, 2010]

राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशंसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिये राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है:-

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।
(ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त नियत करें ।
2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-2 में संशोधन 1-बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप-धारा (द) के बाद निम्नलिखित नयी उप-धारा (ड) जोड़ी जायेगी:
(ड) "ऋण" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि ।
3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-3 में संशोधन 1-बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :
(अ) "राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007-08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 (तीन) प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा" ।
4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा-9 में संशोधन 1-बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
(ब) " वित्तीय वर्ष 2010-11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011-12 में यह 3 प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014-15 तक बनाये रखना होगा" ।
5. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन 1-बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा-9 की उप-धारा 2 के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा :
(स) " ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी" ।

परिशिष्ट 1.4

वर्ष 2010-11 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भ: कड़िका 1.1.1 एवं 1.3, पृष्ठ 2,5)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2009-10		2010-11		2009-10		2010-11			
						गैर योजना	योजना	योग	
		खण्ड: अ राजस्व							
35526.83	I	राजस्व प्राप्तियाँ	44532.32	32584.17	I	राजस्व व्यय	27316.41	10899.51	38215.92
8089.67		कर राजस्व	9869.85	12202.35		सामान्य सेवाएँ	15109.01	177.96	15286.97
1670.42		करेत्तर राजस्व	985.53	13186.41		समाजिक सेवाएँ	7310.33	7779.09	15089.42
18202.58		संघीय करों का राज्यांश	23978.38	7416.22		शिक्षा खेल, कला एवं संस्कृति	4732.26	3368.32	8100.58
2256.20		गैर योजना अनुदान	1924.78	1387.82		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1283.54	218.65	1502.19
3720.97		राज्य योजना हेतु अनुदान	5456.95	1438.24		जलापूर्ति स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	458.85	1238.68	1697.53
1586.99		केन्द्रीय योजना एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2316.83	52.01		सूचना एवं प्रसारण	49.58	2.41	51.99
				407.53		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79.33	458.86	538.19
				69.89		श्रम एवं श्रम कल्याण	63.47	15.43	78.90
				2260.21		समाज कल्याण एवं पोषण	609.26	2293.36	2902.62
				154.49		अन्य	34.04	183.38	217.42
				7087.95		आर्थिक सेवाएँ	4893.82	2942.46	7836.28
				1503.55		कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	780.66	1237.06	2017.72
				2680.44		ग्रामीण विकास	649.08	1340.36	1989.44
						विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम			
				897.31		सिंचाई एवं	1226.62	84.40	1311.02

परिशिष्ट 1.4

प्रारंभिक			संवितरण				
2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	वैत योजना	योजना	योजना	
		867.61		ब्राह्म नियंत्रण उर्जा	1214.24	1.59	1215.83
		265.39		उद्योग एवं सूक्ष्म	101.04	224.82	325.86
		690.04		परिवहन	634.49	-	634.49
		-		विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण			
		183.61		सामाज्य आर्थिक सेवाएँ	287.68	54.23	341.91
		107.47		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.25	-	3.25
		32584.17		कुल			38215.92
	II खपद व में ले जाए गए राजस्व घाटे	2942.66		II खपद व में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष			6316.40
35526.83	कुल	44532.32	35526.83	कुल			44532.32
	III स्वाधीन तथा सेक्टर को शामिल करते हुए आर्थिक सेक्टर क्षेत्र	2291.13		III भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवर ड्राफ्ट			
3557.09	IV विविध पूंजीगत प्रारंभिक		7332.09	IV पूंजीगत परिव्यय	45.69	9150.25	9195.94
			274.48	सामाज्य सेवाएँ	49.53	346.18	395.71
			1122.55	सामाजिक सेवाएँ	-3.84	1075.92	1072.08
			333.96	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-	143.75	143.75
			120.52	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-7.91	172.89	164.98
			464.71	जलापूर्ति, सव्यवस्था, आवास एवं नगर विकास	4.07	625.67	629.74
			3.00	सूचना एवं प्रसारण	-	1.05	1.05
			26.18	अनुसूचित जातियाँ,	-	29.79	29.79

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2009-10			2010-11	2009-10		2010-11			
						गैर योजना	योजना	योग	
						अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
				153.59		समाज कल्याण एवं पोषाहार	-	88.46	88.46
				20.59		अन्य	-	14.31	14.31
				5935.06		आर्थिक सेवाएँ	-	7728.15	7728.15
				1.00		कृषि एवं संबद्ध कार्यक्रम	-	16.99	16.99
				852.65		ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	1203.82	1203.82
				1348.62		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	s	1366.98	1366.98
				376		उर्जा		1007.23	1007.23
				268.58		उद्योग एवं खनिज		8.81	8.81
				3058		परिवहन		4071.58	4071.58
				24.04		सामान्य आर्थिक सेवाएँ		52.74	52.74
13.20	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	11.86	896.79	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	268.05	834.58	1102.63
-		विद्युत परियोजनाओं से		626.25		उर्जा परियोजनाओं हेतु	44.07	834.42	878.49
7.12		सरकारी सेवकों से	10.95	7.12		सरकारी सेवकों को	14.86		14.86
6.08		अन्य से	0.91	263.42		अन्य से	209.12	0.16	209.28
2942.66	VI	राजस्व अधिव्यय नीचे ले जाए गए	6316.40		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
6134.39	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	6032.42	1982.99	VII	लोक ऋण का पुर्नभुगतान			2190.03
		बाहरी ऋण				वाहरी ऋण			
5370.07		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	5250.89	1169.32		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			1724.53
-		अर्थोपाय अग्रिमों के				अर्थोपाय अग्रिमों के			

^s केवल 44,000/-

परिशिष्ट 1.4

2009-10		2010-11		2009-10		संवितरण		
प्राप्ति						2010-11		
						गैर योजना	योजना	योग
	अंतर्गत विवल लेन-देन				अंतर्गत विवल लेन-देन			
	ओमर ब्राफ्ट के अंतर्गत विवल लेन-देन							
764.32	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	781.53		813.67	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुर्नसुगतान			465.50
0.00	VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन	1150.00		0.00	VIII आकस्मिकता निधि को विनियोजन			1150.00
-	IX आकस्मिकता निधि के राशि का स्वामांतरण				IX आकस्मिकता निधि से व्यय			
15303.39	X लोक लेखा प्राप्ति	17321.25		15447.74	X लोक लेखा संवितरण			16749.02
707.19	लघु बचत एवं भविष्य विधियाँ	838.84		970.05	लघु बचत एवं भविष्य विधियाँ			586.14
565.67	आरक्षित निधि	243.72		467.36	आरक्षित निधि			60.00
296.81	उर्वर एवं विविध	334.43		197.28	उर्वर एवं विविध			329.52
7422.76	प्रेषण	9279.87		7367.94	प्रेषण			9199.91
6310.96	जमा एवं अग्रिम	6624.39		6445.11	जमा एवं अग्रिम			6573.45
	XI मालीय विषय से अग्रिम योग्यकृत			2291.13	XI अग्रिम रोकड़ शेष			2735.44
					कोषागार में रोकड़ एवं स्थायी प्रेषण			
				(-12536.45)	रिजर्व बैंक के पास जमा			-426.37
				200.44	बिभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम आदि सहित			426.92
				4627.14	रोकड़ शेष विवेश			2734.89
27950.74	कुल	33123.06		27950.74	कुल			33123.06

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम/योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले एजेन्सियाँ	2009-10	2010-11
		केन्द्रांश	केन्द्रांश
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्	1217.39	1958.66
प्राथमिक स्तर पर छात्राओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम		0.00	15.96
कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय		0.00	73.28
कुल		1217.39	2047.90
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	1032.80	2089.26
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		131.91	141.57
इंदिरा आवास योजना		2009.19	2255.58
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम		-	0.74
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)		-	31.77
हरियाली		5.71	0.00
कुल		3179.61	4518.92
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य समिति	420.84	19.71
कुल सफाई अभियान		90.47	-
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	पंजीकृत समितियाँ	-	3458.69
सांसदों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला मजिस्ट्रेट	101.50	111.53
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	0.85	0.63
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुनर्नवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण	0.99	2.83
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.07	0.84
हस्तशिल्प	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.82	0.00
स्मारिका तथा अन्य	नव नालांदा महाविहार	2.80	2.20
महिला समाख्या	बिहार महिला समाख्या समिति	5.44	5.41
राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल तथा शोध संस्थान	राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा तथा शोध संस्थान	7.15	1.00
व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं (एस.आर.सी.) को सहयोग	जन शिक्षण संस्थान	7.86	4.63
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति	16.61	7.31
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ	31.98	55.86
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण	43.32	51.65
नये आई.आई.टी. की स्थापना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना	52.50	20.00
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		5182.20	10309.11

(₹ करोड़ में)

खण्ड अ प्राप्तिर्वा	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
I. राजस्व प्राप्तिर्वा	23083	28210	32981	35527	44532
(i) कर राजस्व	4033(17)	5086(18)	6173(19)	8090(23)	9870(22)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2081(52)	2535(50)	3016(49)	3839(48)	4557(46)
राज्य उत्पाद	382(9)	525(10)	679(11)	1082(13)	1523(16)
वाहन पर कर	181(4)	273(5)	298(5)	345(4)	456(5)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	455(11)	654(13)	716(12)	998(12)	1099(11)
श्रृं-राजस्व	75(2)	82(2)	102(1)	124(2)	139(1)
माल एवं यात्री कर	783(19)	938(18)	1279(21)	1613(20)	2006(20)
अन्य कर	76(2)	79(2)	83(1)	89(1)	90(1)
(ii) गैर राजस्व कर	511(2)	526(2)	1153(3)	1670(5)	985(2)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	13292(58)	16766(59)	17693(54)	18203(51)	23978(54)
(iv) भारत सरकार से सहायताअनुदान	5247(23)	5832(21)	7962(24)	7564(21)	9699(22)
2. विधिय पूंजीगत प्राप्तिर्वा	0.00	0.00	0.00	00	00
3. ऋण एवं अधिम की वसूली	7	26	11	13	12
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तिर्वा (1+2+3)	23090	28236	32992	35540	44544
5. लोक ऋण प्राप्तिर्वा	2358	1612	5928	6134	6032
आंतरिक (अर्धोपाय, अधिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	2355	1144	5778	5370	5251
आंतरिक अर्धोपाय अधिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत नियत लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अधिम	3	468	150	764	781
6. संचित निधि में कुल प्राप्तिर्वा (4+5)	25448	29848	38920	41674	50576
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तिर्वा	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तिर्वा	9224	12837	16941	15303	17321
9. राज्य की कुल प्राप्तिर्वा (6+7+8)	34672	42685	55861	56978	67897
खण्ड-ब-व्यय संचितरण					
10. राजस्व व्यय	20585	23563	28512	32584	38216
योजना	4065(20)	4804(20)	7280(26)	8439(26)	10900(29)
गैर-योजना	16520(80)	18759(80)	21232(74)	24145(74)	27316(71)
सामाज्य सेवाएँ (व्याज भुगतान सहित)	8643(42)	9252(39)	10530(37)	12202(37)	15287(40)
समाजिक सेवाएँ	7917(38)	9868(42)	12252(43)	13186(40)	15090(39)
आर्थिक सेवाएँ	4021(20)	4438(19)	5726(20)	7088(22)	7836(21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	5	4	108(1)	3
11. पूंजीगत व्यय	5211	6104	6436	7332	9196
योजना	5132(98)	5991(98)	6336(98)	7268(99)	9150(99)
गैर-योजना	79(2)	113(2)	100(2)	64(1)	46(1)
सामाज्य सेवाएँ	155(3)	223(4)	206(3)	274(4)	398(4)
समाजिक सेवाएँ	596(11)	799(13)	640(10)	1123(15)	1072(12)
आर्थिक सेवाएँ	4460(86)	5082(83)	5590(87)	5935(81)	7728(84)
12. ऋण एवं अधिमों का संचितरण	315	272	551	897	1103
13. कुल (10+11+12)	26111	29939	35499	40813	48515

परिशिष्ट 1.6

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1025	1632	1682	1983	2190
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	708	1203	1254	1169	1725
अर्थोपाय, अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	317	429	428	814	465
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संवित्त निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	27136	31571	37181	42796	50705
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	8016	10334	17311	15448	16749
19. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	35152	41905	54492	58428	67454
खण्ड-स-घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिव्यय (+) (1-10)	2498	4647	4469	2943	6316
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिव्यय(+)(4-13)	(-)3021	(-)1703	(-)2507	(-)5273	-3971
22. प्रारंभिक घाटा/ प्रारंभिक आधिव्यय (21+23)	(+)395	(+)2004	(+)1246	(-)1588	+348
खण्ड-द-अन्य आंकड़ें					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3416	3707	3753	3685	4319
24. स्थानीय निकायों की वित्तीय सहायता	1017	1133	4423	4456	4622
25. उपभोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट (दिन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपयोग किये गये अर्थोपाय अग्रिम/ओभरड्राफ्ट (दिन)					
उपयोग किये गये ओभरड्राफ्ट (दिन)					
26. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट पर ब्याज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)^०	103317	118687	150709	175245	213073
28 लंबित राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	49089	50989	54977	58690	62858
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	608	516	704	859	588
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्षान्त)	1538	1538	1538	1548	1549
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	6	9	78	288	350
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2393	2793	1016	941	1005
खण्ड-ई-राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	0.039	0.043	0.041	0.046	0.046
निजी करेतर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.005	0.004	0.007	0.009	0.004
केन्द्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	0.128	0.141	0.113	0.103	0.112
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी	0.253	0.252	0.235	0.233	0.227
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.131	1.061	1.076	1.148	1.089
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.788	0.787	0.803	0.798	0.787
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.326	0.356	0.363	0.350	0.333
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.325	0.318	0.318	0.319	0.343
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.199	0.203	0.181	0.179	0.189

परिशिष्ट 1.6

	2006-2007	2007-2008	2008-09	2009-10	2010-11
सांख्यिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.193	0.196	0.173	0.173	0.181
III राजकोषीय अस्तित्व का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.024	0.039	0.029	0.017	0.029
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	-0.029	-0.014	-0.016	-0.030	-0.018
प्रारंभिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.038	0.017	0.008	-0.009	0.016
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	0.827	-2.728	-1.782	-0.558	-1.590
आरंभिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	-0.053	-0.053	-0.046	-0.047	-0.048
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.475	0.429	0.365	0.335	0.295
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	2.126	1.807	1.667	1.652	1.411
आरंभिक घाटा यथा मात्रा विरतार	0.001	-0.005	0.001	0.012	0.001
ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	1.345	3.216	0.064	0.736	0.923
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	0.00	0.38	0.26	0.24	0.28
घात/राजस्व से शेष	2996	5124	3953	6213	9602
वित्तीय परिसंपत्तियों/दायित्व	0.860	0.960	0.960	1.09	1.18

टिप्पणी में दिये गये आंकड़े प्रत्येक उपखण्डों के कुल प्रतिशतता दिखाने हैं।
 * सरकार द्वारा अपनायी गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2011 को बकाया राशि	पाँच वर्षों से अधिक पुराना बकाया राशि	अभियुक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/वैट	901.96	422.42	₹ 901.96 करोड़ में से ₹ 315.71 करोड़ की माँग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गए थे । ₹ 138.84 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया था । ₹ 1.27 करोड़ की राशि को आवंटन की समीक्षा/संशोधन के लिए रोका गया और ₹ 503.53 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
2.	प्रवेश कर	27.37	1.47	₹ 27.37 करोड़ में से, ₹ 0.50 करोड़ की माँग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गये थे । ₹ 3.80 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 23.07 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
3.	विद्युत पर कर तथा शुल्क	2.32	1.76	₹ 2.32 करोड़ में से, ₹ 1.49 करोड़ की माँग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गये थे । ₹ 0.77 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 0.06 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
4.	मनोरंजन कर	9.96	2.44	₹ 9.96 करोड़ में से, ₹ 9.06 करोड़ की माँग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किए गये थे । ₹ 0.09 करोड़ की वसूली को न्यायालय द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 0.81 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
6.	जल दर	229.03	158.64	संग्रहण के लिए लंबित बकायों की परिस्थितियों की माँग (जून एवं सितंबर 2011) किए जाने के बावजूद सूचित नहीं किए गए । (नवम्बर 2011)
7.	ईंधन	27.60	12.26	₹ 27.60 करोड़ में से, ₹ 3.84 करोड़ की माँग को भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए प्रमाणित किये गए थे । ₹ 10.89 करोड़ की वसूली को सरकार द्वारा रोक लगाया गया एवं ₹ 12.87 करोड़ अन्य परिस्थितियों के लिए लंबित थे ।
कुल		1198.24	598.99 ³	

³ वाहनों पर कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद एवं खान एवं खनिज को छोड़कर जिसका संबंधित विभागों द्वारा विवरण नहीं दिया गया ।

क्रम सं.	वित्त लेखों के परिशिष्ट X का क्रम संख्या	विभाग	विनिर्माण कार्य/परियोजना का नाम	अनुमानित लागत /तिथि	आरोही व्यय	(₹ करोड़ में)	
						लागत वृद्धि	कार्य की भौतिक प्रगति
1	150	पथ विनिर्माण विभाग	मुजफ्फरपुर के शिवहर नौगापुर सड़क के 3.2 कि.मी. पर उच्चस्तरीय कट पुल	4.63 02 अप्रैल 08	4.70	0.07	90
2	155	पथ विनिर्माण विभाग	मौरा-बुन्नी-पावनी कनरपुर सड़क, बक्सर	5.07 14 जून 08	8.23	3.16	80
3	16	लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग	श्रीनगर, मधेपुरा में नगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2.44 04 नवम्बर 06	2.45	0.01	99
4	25	लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग	नालंदा जिला के अंधाला में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पुनर्गठन	11.15 11 सितम्बर 06	11.78	0.63	99
5	156	लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग	बेनास ग्रामीण जलापूर्ति योजना, साराराम	2.26 14 जून 08	2.45	0.19	82
6	157	लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग	छपरा में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत छपीया जलापूर्ति योजना	4.61 14 जून 08	4.80	0.19	85
7	170	लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग	नवादा में प्राथमिक/मध्यविद्यालय में 1.25 मी.मी. x 40 मी.मी. x 61 मीटर / 125 मी.मी. x 40 मी.मी. x 46 मीटर हस्तचालित नलकूप / 125 मी.मी. x 38 मीटर ग्रेवेल पैकेड नलकूप / 125 मी.मी. / 115 मी.मी. x 50 मी.मी. गहरा हस्तचालित नलकूप का निर्माण	5.64 -	5.73	0.09	95
8	182	लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग	लोक स्वास्थ्य प्रसभल पटना पहिसर (एम.एल.ए. कोटा) के अंतर्गत 1.25 मी.मी. x 40 मी.मी. 61 मीटर इंडिया मार्क-III गहरा 4.12 हस्तचालित नलकूप का निर्माण	4.06 11 जुलाई 08	5.62	1.56	75
9	186	लोक स्वास्थ्य अभिवृद्धि विभाग	नवादा में 53 नलकूपों का निर्माण	10.11 19 अगस्त 06	11.90	1.79	74
10	61	जल संसाधन विभाग	बदलानगर तटबंध, खगड़िया के बीरवास स्थल पर किलोमीटर 29.78 से 30.68 का कटाव निरोधक कार्य	4.14 05 फरवरी 07	4.26	0.12	96
11	66	जल संसाधन विभाग	हारसेर बजारगुटिया, पहाड़वक डिांग, मुजफ्फरपुर में कटाव निरोधक कार्य	1.84 09 अक्टूबर 07	2.41	0.57	95

परिशिष्ट 1.8

12	69	जल संसाधन विभाग	खगड़िया जिला के के.वी. तटबंध पर 43.50 से 49.00 कि.मी. तक कटाव निरोधक कार्य	<u>4.51</u> 14 दिसम्बर 07	5.02	0.51	97
13	73	जल संसाधन विभाग	किशनगंज जिला के पहटागाँव में कटाव निरोधक कार्य	<u>12.49</u> -	13.73	1.24	95
14	83	जल संसाधन विभाग	ताजपुर, मुंगेर तटबंध पर कटाव निरोधक कार्य	<u>4.00</u> 05 अक्टूबर 08	4.34	0.34	79
15	90	जल संसाधन विभाग	पटना जिला के बख्तियारपुर के खजुदार ग्राम में कटाव निरोधक कार्य	<u>0.49</u> 04 फरवरी 09	0.52	0.03	95
16	311	जल संसाधन विभाग	औरंगाबाद के छोटी मझौली में श्रृंखला 0 से 1.90 में भू-कार्य एवं श्रृंखला 5.00, 18.00, 45.00, 84.00, 120.00, 139.00, 154.00, 179.00 पर कॉस ड्रेनेज का निर्माण	<u>1.66</u> -	5.79	4.13	30
17	328	जल संसाधन विभाग	बटेश्वरस्थान कहलगाँव भागलपुर में गंगा पम्प नहर योजना कार्य	<u>6.98</u> 08 फरवरी 10	7.49	0.51	-
कुल				86.08	101.22	15.14	

31.03.2010 को	देयता		31.03.2011 को
35494.01	आंतरिक ऋण -		39020.39
15871.95	व्याज वाले बाजार ऋण	17579.57	
0.28	बिना व्याज वाले बाजार ऋण	0.44	
22.08	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.97	
19599.70	अन्य संस्थाओं से ऋण	21418.41	
7948.45	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अधिम		8264.48
3.91	1984-85 से पूर्व ऋण	3.91	
70.06	गैर-योजना ऋण	67.09	
7804.99	राज्य योजनाएँ ऋण	8126.28	
6.73	केंद्रीय योजना के लिए ऋण	6.13	
19.80	केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	18.11	
42.96	अवधिगत अधिम योजना मद	42.96	
350.00	आकरिमकता निधि		350.00
9310.72	लघु ववत, भविष्य निधि आदि		9563.43
4753.62	जमा		4802.90
1463.21	आरक्षित निधि		1646.92
5108.34*	सरकारी खाते में अधिव्यय		11424.74
2942.66	(i) घटाव: चालू वर्ष का राजस्व अधिव्यय	6316.40	
2165.68	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संघित अधिव्यय	5108.34	
64428.35			75072.86
	परिसम्पत्तियाँ		
44251.93	स्वाधीन परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय		53447.86
856.18	कंपनियाँ, विगमों आदि के शेयरों में निवेश	905.24	
43395.75	अन्य पूँजीगत परिव्यय	52542.62	
15551.42	ऋण एवं अधिम		16642.19
12916.23	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	13794.72	
2573.55	अन्य विकास ऋण	2781.92	
61.64	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	65.55	
1224.33	प्रेषण		1144.38
187.13	अधिम		185.49
922.41	उर्ध्व और विविध शेष		917.50
2291.13	रोकड़		2735.44
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00	
-2536.45*	रिजर्व बैंक से जमा	-426.37	
200.00	पिभागीय रोकड़ शेष	254.61	
0.44	स्वाधीन अधिम	172.31	
4627.14	उद्दिष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	2734.89	
64428.35			75072.86

* आंकड़ों का संकलन के कारण आंकड़े परिवर्तित

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	1676.27	1348.20	328.07	19.57
2	2	पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	407.47	241.75	165.72	40.67
3	3	भवन निर्माण विभाग	445.38	333.57	111.81	25.10
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	102.48	73.42	29.06	28.36
5	6	निर्वाचन विभाग	256.80	194.08	62.72	24.42
6	8	कला,संस्कृति एवं युवा विभाग	125.37	77.21	48.16	38.41
7	9	सहकारिता विभाग	660.80	449.68	211.12	31.95
8	10	उर्जा विभाग	3626.07	3124.38	501.69	13.84
9	11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	136.81	124.14	12.67	9.26
10	12	वित्त विभाग	1607.00	376.93	1230.07	76.54
11	13	ब्याज संदाय	4513.64	4319.16	194.48	4.31
12	14	ऋण की वापसी अदायगी	2277.96	2190.03	87.93	3.86
13	16	पंचायती राज विभाग	2065.84	1297.80	768.04	37.18
14	17	वाणिज्य कर विभाग	90.68	56.46	34.22	37.74
15	18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	228.09	162.61	65.48	28.71
16	19	वन एवं पर्यावरण विभाग	118.73	106.83	11.90	10.02
17	20	स्वास्थ्य विभाग	2207.79	1706.24	501.55	22.72
18	21	मानव संसाधन विकास विभाग	9954.95	8703.60	1251.35	12.57
19	22	गृह विभाग	3464.84	3015.95	448.89	12.96
20	23	उद्योग विभाग	743.27	300.75	442.52	59.54
21	25	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	208.48	58.23	150.25	72.07
22	26	श्रम संसाधन विभाग	197.92	143.33	54.59	27.58
23	27	विधि विभाग	494.63	364.22	130.41	26.37
24	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	465.86	280.09	185.77	39.88
25	33	सामान्य प्रशासन विभाग	350.00	284.46	65.54	18.73
26	35	योजना एवं विकास विभाग	784.85	412.11	372.74	47.49
27	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1260.62	937.02	323.60	25.67
28	37	ग्रामीण कार्य विभाग	1772.21	1592.70	179.51	10.13
29	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	112.00	88.39	23.61	21.08
30	39	आपदा प्रबंधन विभाग	1993.65	636.66	1356.99	68.07
31	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	619.06	455.13	163.93	26.48
32	41	पथ निर्माण विभाग	4799.44	4467.83	331.61	6.91
33	42	ग्रामीण विकास विभाग	1426.70	1271.14	155.56	10.90

परिशिष्ट 2.1

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	189.37	144.44	44.93	23.73
35	44	अबुसूचित जाति एवं अबुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	502.97	446.54	56.43	11.22
36	45	गन्ना उद्योग विभाग	151.62	81.06	70.56	46.54
37	47	परिवहन विभाग	163.05	151.89	11.16	6.84
38	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	2150.46	611.56	1538.90	71.56
39	49	जल संसाधन विभाग	4010.23	2056.56	1953.67	48.72
40	50	लघु जल संसाधन विभाग	924.78	635.23	289.55	31.31
41	51	समाज कल्याण विभाग	2833.04	2082.53	750.51	26.49
		कुल	60121.18	45403.91	14717.27	

(स्रोत : राज्य का विनियोजन लेखा, 2010-11)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व-दत्तमत						
1	2-पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग	20.10 (12.27)	26.18 (14.94)	64.55 (18.10)	62.53 (18.99)	165.72 (40.67)*
2	12-वित्त विभाग	21.04 (22.40)	94.54 (54.74)	35.16 (12.83)	39.09 (10.91)	55.64 (13.46)
3	20-स्वास्थ्य विभाग	355.35 (28.24)	292.10 (22.03)	395.61 (24.92)	278.83 (16.79)	479.42 (23.92)
4	27-विधि विभाग	29.54 (16.49)	35.32 (16.68)	70.45 (26.76)	31.32 (10.72)	130.41 (26.37)
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	36.53 (12.57)	38.58 (11.26)	73.16 (19.07)	120.13 (17.17)	128.43 (23.06)
6	41-पथ निर्माण विभाग	37.82 (10.96)	123.15 (29.98)	114.75 (27.17)	274.30 (38.78)	198.29 (33.58)
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	289.99 (68.09)	33.72 (17.33)	70.75 (21.92)	93.81 (28.18)	108.29 (15.78)
कुल राजस्व दत्तमत		790.37	643.59	824.43	900.01	1266.20
पूँजीगत-दत्तमत						
8	3-भवन निर्माण विभाग	75.94 (59.98)	39.03 (57.17)	53.82 (58.81)	26.79 (29.86)	66.52 (36.16)
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	318.63 (56.21)	389.41 (53.87)	495.89 (73.13)	462.89 (50.68)	268.62 (29.99)
10	49-जल संसाधन विभाग	463.82 (44.29)	593.42 (42.19)	1359.51 (55.29)	1415.28 (52.57)	1722.91 (56.81)
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	60.72 (55.68)	79.06 (51.45)	60.63 (59.44)	95.11 (57.02)	181.26 (75.96)
कुल पूँजीगत-दत्तमत		919.11	1100.92	1969.85	2000.07	2239.31

(स्रोत: संबंधित वर्ष के राज्य विनियोजन लेखे)

* कोष्ठक में दिखाये गए आंकड़े कुल प्रावधान की प्रतिशतता दर्शाते हैं ।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	अधिकांश व्यय की राशि	लोक लेखा समिति में विचारार्थ की स्थिति
1977-78	2	5, 24	0.40	अविनियमित
1978-79	2	17, 27	16.17	अविनियमित
1979-80	1	17	33.46	अविनियमित
1980-81	2	12, 17	26.03	अविनियमित
1981-82	5	3, 12, 13, 17, 24	38.04	अविनियमित
1982-83	2	12, 22	4.79	अविनियमित
1983-84	1	12	9.45	अविनियमित
1984-85	2	3, 14	2.62	अविनियमित
1985-86	2	10, 13	14.83	अविनियमित
1986-87	1	13	65.62	अविनियमित
1987-88	5	9, 19, 25, 38, 48	242.45	अविनियमित
1988-89	3	9, 25, 38	85.15	अविनियमित
1989-90	3	25, 27, 38	99.40	अविनियमित
1990-91	2	37, 38	47.55	अविनियमित
1991-92	2	6, 38	71.24	अविनियमित
1992-93	2	25, 38	93.25	अविनियमित
1993-94	2	25, 37	157.68	अविनियमित
1994-95	1	37	170.61	अविनियमित
1995-96	2	25, 37	213.22	अविनियमित
1996-97	2	23, 37	21.16	अविनियमित
1997-98	1	7	0.01	₹ 0.01 करोड़ लोक लेखा समिति द्वारा विनियमित किया जा चुका है परंतु उनका जजट अधिसूचना प्रतिलिखित है।
1998-99	1	30	0.33	₹ 0.33 करोड़ लोक लेखा समिति द्वारा विनियमित किया जा चुका है परंतु उनका जजट अधिसूचना प्रतिलिखित है।
1999-00	4	10, 13, 14, 50	196.22	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका जजट अधिसूचना प्रतिलिखित है।
	1	40	0.01	अविनियमित
2000-01	4	5, 13, 15, 32	712.34	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका जजट अधिसूचना प्रतिलिखित है।
2001-02	1	15	491.24	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका जजट अधिसूचना प्रतिलिखित है।
2002-03	2	15, 47	10.15	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका जजट अधिसूचना प्रतिलिखित है।
2003-04	4	10, 14, 15, 32	3701.11	विनियमितिकरण हेतु लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जा चुका है परंतु उनका जजट अधिसूचना प्रतिलिखित है।
	3	11, 30, 50	81.23	अविनियमित
2004-05	4	19, 20, 21, 46	5.68	अविनियमित
2005-06	4	10, 39, 40, 46	349.56	अविनियमित
2007-08	2	17, 42	1.93	अविनियमित
2008-09	3	15, 17, 28	54.63	अविनियमित
2009-10	1	14	98.38	अविनियमित
कुल			7115.94	

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
अ राजस्व (भारित)					
1	13-ब्याज संदाय	4513.10	4319.16	193.94	0.53
2	28-बिहार का उच्च न्यायालय	65.84	59.49	6.35	2.33
कुल भारित		4578.94	4378.65	200.29	2.86
अ राजस्व (दत्तमत)					
1	02-पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग	354.66	241.75	112.91	52.81
2	03-भवन निर्माण विभाग	253.62	216.15	37.47	7.81
3	04-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	86.14	72.60	13.54	7.30
4	07-निगरानी विभाग	18.85	18.74	0.11	1.50
5	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	59.99	47.07	12.92	2.38
6	12-वित्त विभाग	412.62	357.84	54.78	0.86
7	17-वाणिज्य कर विभाग	56.73	56.46	0.27	29.87
8	20-स्वास्थ्य विभाग	1906.69	1525.10	381.59	97.83
9	21-मानव संसाधन विकास विभाग	9348.22	8665.81	682.41	546.91
10	24-सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	57.35	52.57	4.78	0.25
11	25-सूचना प्राद्योगिकी विभाग	94.24	49.23	45.01	0.24
12	26-श्रम संसाधन विभाग	157.98	130.69	27.29	17.94
13	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	335.87	247.02	88.85	88.04
14	32-विधान मंडल	71.12	70.94	0.18	7.74
15	33-सामान्य प्रशासन विभाग	281.23	264.31	16.92	48.62
16	37-ग्रामीण कार्य विभाग	536.27	388.45	147.82	0.70
17	38-निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	91.31	84.57	6.74	16.84
18	41-पथ निर्माण विभाग	586.86	392.13	194.73	3.57
19	42-ग्रामीण विकास विभाग	1367.04	1271.14	95.90	22.08
20	45-गन्ना उद्योग विभाग	49.42	42.37	7.05	26.04
21	47-परिवहन विभाग	26.02	18.04	7.98	3.17
22	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	1788.78	611.56	1177.22	354.68
23	51-समाज कल्याण विभाग	2349.01	2082.53	266.48	341.14
कुल राजस्व (दत्तमत)		20290.02	16907.07	3382.95	1678.32
कुल राजस्व (दत्तमत+भारित)		24868.96	21285.72	3583.24	1681.18
ब पूँजीगत दत्तमत					
1	12-वित्त विभाग	35.52	19.08	16.44	1158.00
2	20-स्वास्थ्य विभाग	193.22	181.14	12.08	10.05
3	26-श्रम संसाधन विभाग	20.00	12.64	7.36	2.00
4	35-योजना एवं विकास विभाग	34.89	30.44	4.45	10.26
5	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	865.81	627.19	238.62	30.00
6	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2.06	1.67	0.39	1.39
7	43-विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी विभाग	110.75	103.80	6.95	34.16
8	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2.00	0.00	2.00	5.00
9	49-जल संसाधन विभाग	2279.76	1309.81	969.95	752.95
कुल पूँजीगत		3544.01	2285.77	1258.24	2003.81
महायोग		28412.97	23571.49	4841.48	3684.99

(स्रोत: राज्य विनियोजन लेख, 2010-11)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं 0	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एय विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अव्ययप	अंतिम बचत
1	8	2204-00-101-0001-शारीरिक शिक्षा	2.36	0.46	2.29	0.00	0.53
2	14	6004-04-800-0020-वर्षाहित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलछजन विकास परियोजना	0.35	0.03	0.34	0.00	0.04
3	16	2515-00-198-0001-यंचायती संस्थाओं को सहायता	431.63	0.59	221.79	210.27	0.16
4	20	2210-01-110-0012-राजेन्द्र अस्पताल, पटना	2.98	2.51	2.05	2.50	0.94
5	20	2210-02-101-0004-राजकीय आरुचैदिक कॉलेज अस्पताल, पटना	2.39	0.11	2.29	0.11	0.10
6	20	2210-06-105-0003-दरभंगा मेडिकल कॉलेज	28.43	1.41	26.55	3.15	0.14
7	20	2210-06-003-0002-लोक स्वास्थ्य संस्थान	8.61	0.35	6.56	1.13	1.27
8	20	2210-06-101-0003-राष्ट्रीय उन्वूलन कार्यक्रम	21.75	1.90	18.08	3.76	1.81
9	20	2210-06-104-0001-औषधि कल्याण विभाग	8.54	0.01	5.24	0.78	2.53
10	20	2251-00-090-0007-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2.29	0.09	1.89	0.48	0.01
11	21	2202-04-001-0002-जन शिक्षा का निदेशक	1.34	0.20	1.08	0.12	0.34
12	22	2055-00-101-0004-विदेशियों के क्रियाकलापों का परीक्षण	0.50	0.07	0.36	0.04	0.17
13	22	2055-00-104-0003-विशेष सुरक्षा बल	25.10	0.05	23.67	1.37	0.11
14	39	2245-02-101-0006-आग लगाने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	24.00	1.00	6.12	18.87	0.01
15	39	2245-02-101-0007-आग लगाने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	10.50	1.00	5.38	5.78	0.34
16	39	2245-02-118-0001-क्षतिग्रस्त नावों का मरम्मत/नये नावों का निर्माण	6.00	1.00	0.85	6.08	0.07
17	41	3054-80-001-0001-निदेशन	28.29	0.20	23.19	3.31	1.99
18	41	3054-80-001-0006-राष्ट्रीय उच्च पब परियोजना-निदेशन	50.00	30.00	6.67	26.35	46.98
19	42	2501-01-800-0102-स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	111.00	0.07	52.47	57.72	0.88
20	42	2505-01-701-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम का क्षेत्रीय स्थापना	2.00	0.25	1.86	0.32	0.07

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
21	48	2217-80-191-0010-ग्याहरवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर निकायों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	32.56	0.50	28.63	0.00	4.43
22	48	2217-80-192-0001-ग्याहरवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर परिषदों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	28.72	0.48	22.01	0.00	7.19
23	49	2700-03-101-0002- अन्य रख-रखाव व्यय	55.05	4.50	42.19	0.88	16.48
24	49	2701-04-001-0001-स्थापना	32.14	3.00	28.94	5.58	0.62
25	49	4700-02-800-0101-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना (कार्य)	0.05	4.50	0.00	0.00	4.55
26	49	4701-04-001-0101-स्थापना	2.78	0.01	2.10	0.63	0.06
कुल			919.36	54.29	532.60	349.23	91.82

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार एवं अनुदान लेखा परीक्षा पंजी)

क्र. सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्राप्तियां	पुनर्विनियोजन	अंतिम शेष
1	2	2403-00-101-0003-अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	77.97	-1.76	1.42
2	3	2059-80-052-0001-नई आपूर्ति एवं मरम्मत	1.00	-0.07	0.20
3	4	2013-00-101-0002-राज्य मंत्रालय	2.03	-0.05	0.02
4	4	2070-00-114-0001-सर्वकारी वायुमार्गों का अनुरक्षण	17.62	-0.41	0.03
5	8	2204-00-104-0001-सैलफूट	4.38	-0.46	1.54
6	8	2205-00-107-0101-संबलालय	2.70	-0.50	1.57
7	13	2049-04-101-0002-1989-90 से प्राप्त प्रखंड ऋण पर ब्याज	156.58	-0.13	45.27
8	14	6004-02-101-0001-1989-90 से प्राप्त प्रखंड ऋण	121.66	-0.04	46.32
9	16	2515-00-198-0004-मान पंचायतों में लिपिक सह रोकड़पाल को पारिश्रमिक	40.62	-1.44	2.08
10	20	2210-01-001-0001-अधीक्षक	20.18	-2.34	1.63
11	20	2210-01-110-0013-सदर अस्पताल	123.26	-1.33	16.01
12	20	2210-01-200-0001-अव्याज्य औषधालय (यक्षा उन्मूलन कार्यक्रम)	31.87	-0.04	0.84
13	20	2210-01-200-0002-अव्याज्य औषधालय (कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)	46.33	-2.06	4.91
14	20	2210-03-110-0001-मानुस्यिक स्वास्थ्य केन्द्र	50.98	-0.08	5.42
15	20	2210-05-105-0023-राजकीय मेडिकल कॉलेज, वैश्या	5.62	-1.41	2.19
16	20	2210-05-105-0024-राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	5.62	-1.40	0.14
17	20	2210-06-102-0001-लोक स्वास्थ्य एवं सफाई कार्यक्रम (खाद्य नियंत्रण स्थापना)	2.61	-0.05	1.04
18	20	2210-06-200-0001-अध्य लीजों के लिए योग्य प्रशिक्षण	11.00	-2.17	0.79
19	20	2210-06-800-0002-पिछड़े वर्गों के लिए स्वास्थ्य एवं चरमा वितरण योजना	7.00	-1.75	1.26
20	21	2202-03-102-0002-मगध विश्वविद्यालय (सहायता अनुदान)	273.34	-41.39	1.94
21	21	2202-03-102-0004-जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा (सहायता अनुदान)	63.81	-6.09	0.02
22	21	2202-04-800-0102-श्रीड शिखा	75.00	-3.00	52.86
23	26	2230-01-101-0007-शुषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन	20.84	-0.37	0.34
24	26	2230-01-101-0108-भ्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण	0.59	-0.07	0.10
25	26	2235-60-800-0103-आम आदमी के लिए बीमा योजना	12.75	-0.50	11.77
26	32	2011-02-102-0006-सदरगण	6.80	-0.96	0.06
27	35	3454-02-204-0002-केंद्रीय सांख्यिकी संगठन	15.01	-1.25	0.31
28	39	2245-02-101-0002-साक्षात्कार की आपूर्ति	140.40	-1.00	1.22
29	39	2245-02-107-0001-सर्वकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन	0.50	-0.12	0.09
30	39	2245-02-109-0001-क्षतिग्रस्त जलापूर्ति नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली का मरम्मत एवं पुनर्स्थापन	0.80	-0.20	0.15
31	39	2245-02-114-0001-कृषि इन्पुट अनुदान (क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	28.41	-0.75	4.15
32	39	2245-02-114-0003-कृषि फसलों को सहायता अनुदान	1.00	-0.25	0.19
33	39	2245-02-114-0005-पेरिनिचल फसलों को सहायता अनुदान	0.50	-0.12	0.09
34	39	2245-02-115-0001-भूमि से रेत/गाढ़/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	1.00	-0.25	0.19
35	39	2245-02-115-0002-मतस्य पालन प्रक्षेत्र से गाढ़/बालू आदि का निकासी	0.50	-0.12	0.09

परिशिष्ट 2.6

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अंतिम बचत
36	39	2245-02-116-0001-खराब ट्यूबवेलों/पम्पसेटों आदि की मरम्मत के लिए किसानों को सहायता	0.50	-0.12	0.09
37	39	2245-02-117-0001-बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों से पशुओं का परिवर्तन	2.50	-0.50	0.50
38	39	2245-02-282-0001-मानव हेतु दवाओं की आपूर्ति	2.25	-0.50	0.19
39	39	2245-02-282-0003-चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी.ओ.एल. की आपूर्ति	1.00	-0.25	0.08
40	39	2245-02-800-0006-कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.55	-0.14	0.10
41	40	2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	367.23	-0.12	13.35
42	41	3054-03-337-0001-सड़क निर्माण कार्य	330.00	-30.00	0.64
43	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	176.31	-0.32	4.29
44	42	2216-03-105-0102-इंदिरा आवास योजना	780.00	-0.65	5.30
45	48	2217-80-193-0001-ग्याह्रवे वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायता अनुदान	18.94	-0.98	2.64
46	49	2700-02-101-0002-अन्य रख-रखाव व्यय	19.99	-4.00	0.63
47	49	2700-03-001-0001-स्थापना	169.32	-0.13	2.54
48	49	4700-01-001-0101-स्थापना	46.28	-0.02	0.43
49	49	4700-03-800-0101-सोन बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	96.64	-4.50	4.69
50	50	2702-02-005-0001-सर्वेक्षण एवं खोज	104.06	-0.03	1.49
कुल			3485.85	-116.19	243.21

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार एवं अनुदान लेखा परीक्षा पंजी)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संस्था	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	वचत	प्रतिशत	
1	01-कृषि विभाग	2401-00-103-0614-समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (माइक्रोमोड 90:10)	32.83	8.10	24.59	0.14	74.90	
2		2401-00-107-0602-समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (माइक्रोमोड 90:10)	7.07	0.81	6.21	0.05	87.84	
3		2401-00-119-0101-उद्यान विकास योजना	10.00	2.05	7.95	0.00	79.50	
4		2402-00-102-0602-एन.इन्फ्यू.डी.पी.आर.ए. (माइक्रोमोड 10:90)	9.00	2.19	6.75	0.06	75	
5	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0101-अस्पताल, औषधालय तथा अन्य स्थापना	65.61	10.09	54.40	1.12	82.91	
6		2403-00-106-0607-पशुओं की बीमारी के निर्वण एवं रोकथाम की योजना	24.00	3.52	20.48	0.00	85.33	
7		2403-00-106-0104-पशुओं की बीमारी के निर्वण एवं रोकथाम की योजना	8.00	1.06	6.83	0.11	85.37	
8		2405-00-101-0104-मत्स्य तालाब का विकास एवं जीर्णोद्धार	10.50	1.41	8.16	0.93	77.71	
9	04-सैनीमल सचिवालय विभाग	5053-02-102-0101-इवाई अड्डा	9.03	0.83	5.09	3.11	56.37	
10	06-निवाहन विभाग	2015-00-108-0001-नतदलाओं जो पहाड़-पत्र विगत करने पर व्यय	20.10	8.34	10.55	1.21	52.49	
11	09-सहकारिता विभाग	2401-00-110-0107-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा विधि को प्रीभियम अनुदान	150.00	68.55	81.45	0.00	54.30	
12	10-उर्जा विभाग	2801-80-190-0002-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय रम विकास योजना	86.70	40.96	45.74	0.00	52.76	
13	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-196-0003-पंचायती संस्थाओं को सहायता	46.29	4.77	41.52	0.00	89.70	
14		2515-00-197-0001- पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान	92.74	14.47	78.27	0.00	84.40	
15		2515-00-198-0004-ग्राम पंचायत में लिपिक सह रोकड़पाल को पारितोषिक	40.62	0.00	38.54	2.08	94.88	
16		2515-00-198-0105-ग्राम पंचायत के विधित प्रतिनिधियों को विगत भत्ता	18.09	0.99	15.69	1.41	86.73	
17		2515-00-198-0106- ग्राम कचहरी के विधित प्रतिनिधियों को विगत भत्ता	18.51	1.44	11.78	5.29	63.64	
18		2515-00-800-0012- ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	45.70	20.69	25.01	0.00	54.73	
19		17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0005-मिश्रण मॉड प्रोजेक्ट	20.87	2.50	18.37	0.00	88.02
20		20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016-मानसिक आरोग्यशाला	9.50	4.24	5.26	0.00	55.37
21	2210-05-105-0024-राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा		5.62	0.27	5.22	0.13	92.88	
22	2210-06-200-0001-अन्य लोगों के लिए योग्य प्रशिक्षण		11.00	0.00	10.21	0.79	92.82	

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत
23	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-06-800-0002-पिछड़े वर्गों को स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	7.00	0.39	5.35	1.26	76.43
24		2211-00-001-0602-तकनीकी परामर्श एवं पर्यवेक्षण राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो	7.77	1.45	6.32	0.00	81.34
25	21-मानव संसाधन विकास विभाग	2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	16.57	0.85	11.11	4.61	67.05
26		2202-02-110-0003-माध्यमिक, बहुउद्देशीय तथा अल्पसंख्यक विद्यालय	201.00	40.68	158.84	1.48	79.02
27	22-गृह विभाग	2055-00-001-0003-केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	26.99	9.46	17.53	0.00	64.95
28		2055-00-001-0008-सिपाही की नियुक्ति हेतु केन्द्रीय चयन पर्यद	15.44	4.91	10.53	0.00	68.20
29		2055-00-800-0105-पुलिस प्रशासन का सुदृढीकरण एवं विकास	9.50	3.39	6.11	0.00	64.32
30		2070-00-108-0102-अग्निशमन उपकरणों का क्रय	74.35	6.28	68.07	0.00	91.55
31		4055-00-800-0102-वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुलिस अकादमी के लिए आवासीय भवन का निर्माण, प्रशिक्षण केन्द्र	40.00	11.20	28.80	0.00	72
32		4070-00-051-0103-केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग)	6.90	0.00	5.05	1.85	73.19
33	23-उद्योग विभाग	2851-00-107-0101-पिछड़े वर्गों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-रेशम का विकास	6.41	1.05	5.13	0.23	80.03
34		4885-02-800-0101-उद्योग विकास के लिए भू-अर्जन	282.31	9.56	269.04	3.71	95.30
35	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0109- ई-शासन राज्य योजना	14.00	5.83	8.17	0.00	58.36
36		4859-02-800-0101-बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	109.00	9.00	100.00	0.00	91.74
37	27-विधि विभाग	2014-00-003-0001-बिहार न्यायिक सेवा प्रशिक्षण संस्थान	10.83	0.86	9.97	0.00	92.06
38		2014-00-106-0001-लघु वाद न्यायालय	42.86	0.08	42.74	0.04	99.72
39		2014-00-114-0002-गरीबों को न्यायिक सहायता	7.59	1.71	5.88	0.00	77.47
40	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	2250-00-800-0612-अल्पसंख्यकों का बहुक्षेत्रीय विकास योजना	254.84	99.82	154.91	0.11	60.79
41	35-योजना एवं विकास विभाग	2053-00-800-0102-योजना तंत्र का सुदृढीकरण	261.98	2.46	259.52	0.00	99.06
42		3454-02-204-0620-भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	30.10	0.05	30.05	0.00	99.83
43	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-01-800-0001-सरकारी भवनों में जलापूर्ति की मरम्मत	24.83	11.44	13.39	0.00	53.93
44		4215-01-102-0101-ग्रामीण पार्सप जलापूर्ति योजना-कार्य	35.20	13.59	21.39	0.22	60.77
45		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	49.50	15.08	34.12	0.30	68.93
46		4215-02-800-0102-शमशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास	16.37	8.07	8.30	0.00	50.70

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्णित राशि	बचत	प्रतिशत	
47	59-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0002-न्नाद्यान्नों की आपूर्ति	20.50	0.89	17.77	1.84	86.68	
48		2245-02-101-0001-कि-सहायों एवं विकल्पों को नगद सहायता	32.00	12.40	19.60	0.00	61.25	
49		2245-02-101-0002-न्नाद्यान्नों की आपूर्ति	140.40	52.02	87.16	1.22	62.08	
50		2245-02-101-0004-भूमाविलों को कपड़ा एवं वर्तन का मुफ्त वितरण	25.25	4.71	20.03	0.51	79.33	
51		2245-02-101-0006-आग लगाने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	24.00	6.12	17.87	0.01	74.46	
52		2245-02-106-0001-क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा प्रत्यारोपण	17.00	0.44	12.26	4.30	72.12	
53		2245-02-112-0002-जनसंख्या का विखण्डन	23.00	11.15	11.85	0.00	51.52	
54		2245-02-112-0104-संचार उपकरणों का क्रय	14.17	0.20	8.01	5.96	56.53	
55		2245-02-113-0001-न्नाड़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्स्थापन	34.16	0.10	26.42	7.64	77.34	
56		2245-02-118-0001-क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मत/नये नावों का निर्माण	6.00	0.85	5.08	0.07	84.67	
57	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0104-राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण	14.46	4.81	7.89	1.76	54.56	
58		2029-00-800-0101-जोतों की चकबंदी	20.00	8.69	11.31	0.00	56.55	
59	42-ग्रामीण विकास विभाग	2501-01-800-0102-स्वर्ण जयंती गाम स्वरोजगार योजना	111.00	52.47	57.65	0.88	51.94	
60	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	4225-01-051-0101-आवासीय विद्यालय एवं भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	12.75	4.48	8.05	0.22	63.14	
61	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2217-80-800-0122-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन योजना	900.00	30.14	675.00	194.86	75	
62	49-जल संसाधन विभाग	2705-00-001-0102-क्षेत्र विकास कमाण्ड स्तर	178.40	79.64	94.01	4.75	52.70	
63		2711-01-800-0103-न्नाड़ प्रबंधन सूचना प्रणाली (निश्च बैंक द्वारा सम्पोषित)	10.00	2.54	7.46	0.00	74.60	
64		4700-01-800-0102-बोसिन की सिंचाई परियोजनाएं (कर्म) (ए.आई.बी.पी.)	600.00	201.02	392.86	6.12	65.48	
65		4700-03-800-0102-बोसिन की सिंचाई परियोजनाएं (ए.आई.बी.पी.)	250.00	25.73	218.62	5.65	87.45	
66		4701-03-800-0102-बोसिन की सिंचाई परियोजनाएं (कर्म) (ए.आई.बी.पी.)	19.90	2.17	14.95	2.78	75.13	
67		4701-03-800-0103-बोसिन की सिंचाई परियोजनाएं (कर्म) (नाबार्ड समर्थित योजना)	26.63	7.04	18.09	1.50	67.93	
68		4711-01-001-0106-जल विस्तारण परियोजनाएं (कर्म)	21.85	8.77	12.04	1.04	55.10	
69		50-जल संसाधन विभाग	2702-02-4005-0003-सतही सिंचाई योजनाओं का मरम्मत को वित्तीय सहायता एवं अंश/सहायता अनुदान	6.00	0.04	5.76	0.20	96
70			2702-03-103-0104-मिजी नलकूप	7.00	1.54	5.51	0.05	78.71

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशत
71	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0101-अधूरे नलकूपों योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	61.50	5.61	55.83	0.06	90.78
72	51-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-02-101-0106-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	10.50	0.03	10.35	0.12	98.57
कुल			4879.59	978.09	3629.82	271.78	

(स्रोत: राज्य के विस्तृत विनियोजन लेखा)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	(₹ करोड़ में) कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-001-0103-कृषि विपणन	25.00
2		2401-00-800-0105-राज्य किसान आयोग	0.50
3		2401-00-800-0109-एसी बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोजित परियोजना)	20.00
4	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-001-0101-निदेशालय एवं क्षेत्रीय प्रशासन	4.00
5		2403-00-101-0107-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	12.88
6		2405-00-101-0605-अन्तर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी का विकास	0.27
7		2405-00-101-0612-मत्स्य विकास योजना	4.50
8		2405-00-101-0107-मत्स्य अनुसंधान योजना	0.42
9		2405-00-101-0112-मत्स्य विपणन योजना	1.50
10		2405-00-101-0115-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	0.35
11	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0011-न्युपालन विभाग के भवन का अनुसंधान और मरम्मत हेतु	0.65
12		2059-80-103-0004-निरीक्षण भवनों का साज-सज्जा	0.30
13		4216-80-101-0001-निर्माण के पूर्व के प्रारंभिक कार्य	0.10
14	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	4202-04-800-0101-विरासत संरक्षण प्रक्षेत्र में होने वाला व्यय (वित्त आयोग)	30.00
15	10-ऊर्जा विभाग	2801-80-190-0101-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के रिसोर्स गैप	360.00
16		2810-60-600-0101-गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत हेतु सहायता अनुदान	20.00
17		4801-05-800-0102-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संचारण एवं वितरण परियोजना (बाह्य सम्पोजित परियोजना)	100.00
18		6801-00-800-0104-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	5.00
19	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0001-छत्रवृत्तियाँ/वृत्तियाँ	0.25
20	12-वित्त विभाग	4058-00-103-0101-नाशीनरी और उपस्कर सरकारी प्रेस गुलजार बाग के आधुनिकीकरण की योजना	1.50
21	13-भ्याज संदाय	2049-01-115-0001-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय पेशगी	3.00
22	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-101-0110-पंचायती राज व्यवस्था और मानव विकास	10.47
23		2515-00-196-0002-ग्रामीण भवनों हेतु जिला परिषदों को अनुदान	1.00
24		2515-00-800-0112-ग्राम कर्मियों के विभिन्न मदों हेतु व्यय	6.96
25		2515-00-800-0115-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास (बाह्य सम्पोजित परियोजना)	10.47
26		4515-00-101-0104-पंचायत सरकार भवन-वित्त आयोग की अनुशंसा	177.00

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
27	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0105-मिशन मोड प्रोजेक्ट	8.84
28		4047-00-051-0101-भवन निर्माण	4.08
29	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-01-105-0104-प्रदूषण नियंत्रण पार्षद	3.00
30		2406-02-110-0120-आश्रणियों का विकास	0.15
31		2406-02-110-0603-अन्य उद्यान-संजय गाँधी जैविक उद्यान (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
32		2406-02-110-0605-आश्रणियों का विकास (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
33		2406-02-110-0615-बाल्मिकी नगर ब्याघ्र योजना इको डेबलेपमेन्ट (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.25
34		2406-02-110-0619-अविकसित भूमि का विकास	0.10
35		2406-02-110-0620-आश्रणियों का विकास	0.15
36		2406-02-110-0109-संजय गाँधी जैविक उद्यान (50:50) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना	0.30
37		2406-02-111-0601-अन्य पार्क	0.30
38		20-स्वास्थ्य विभाग	2210-05-105-0015-शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति
39	4210-01-051-0103-जिला चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय एवं आवसीय भवनों का निर्माण		0.90
40	4210-01-051-0104-शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण		1.07
41	4210-80-800-0102-रेफरल अस्पताल के अधूरे भवनों का निर्माण		1.50
42	4210-80-800-0104-स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भू-अर्जन		1.40
43	21-गृह विभाग	2202-02-109-0605-आई. टी.सी. परियोजना	10.00
44		2202-02-109-0105- आई. टी.सी. परियोजना	3.34
45		2205-00-105-0011-राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि से अनुदान	0.40
46	23-उद्योग विभाग	2851-00-103-0112-पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	1.05
47		2852-80-102-0147-बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अंतर्गत पूँजी निवेश हेतु समूहों का निर्धारण/सृजन का आयोजन	0.25
48		2852-80-800-0101-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों का आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव	115.00
49		2852-80-800-0102-विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	0.25
50		6885-01-190-0101-औद्योगिक विकास योजना के लिए विहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण	11.06
51		6885-01-800-0101-अन्य ऋण	0.60
52	25-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2852-07-202-0104-ई-कय योजना	5.00
53		2852-07-202-0106-ज्ञान सिटी योजना	5.00
54		2852-07-202-0111-ई. शासन परियोजना-वित्त आयोग की अनुशंसा पर	7.00
55		4859-02-800-0102-सूचना प्रौद्योगिकी भवन	5.00
56	27-विधि विभाग	2014-00-106-0002-वित्त आयोग की अनुशंसा पर ए.डी.आर. केन्द्र	8.15

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्राधान्य का अभ्यर्ण
57	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	2250-00-003-0101-अल्पसंख्यक वर्गों के कामगारों को प्रशिक्षण	1.00
58	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0120-भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	0.10
59	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-01-198-0001-ग्रामीण पंचायतों को चापाकलों की मरम्मत हेतु सहायक अनुदान	7.20
60		4215-01-102-0112-केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना का राज्यांश भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रैन वाटर हारभेस्टिंग	0.50
61	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0003-संतप्त परिवारों के अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.20
62		2245-01-104-0001-चारे की पूर्ति	1.50
63		2245-01-105-0001-पशुओं के लिए दवा	0.75
64		2245-01-282-0001-दवाओं की आपूर्ति	0.75
65		2245-01-800-0003-अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	25.00
66		2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति	2.07
67		2245-02-108-0001-सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
68		2245-02-109-0004-संचार उपकरणों का क्रय	0.20
69		2245-02-119-0001-हस्तशिल्प बुनकरों को पारम्परिक कच्चा उपकरणों की मरम्मत/पुनर्व्यापन हेतु सहायता	0.15
70		2245-02-119-0002-सूत एवं सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.15
71		2245-02-119-0003- हस्तकच्चा बुनकरों को सहायता अनुदान	0.13
72		2245-02-122-0001-हॉलिवुड सिंचाई प्रणाली एवं बाढ़ नियंत्रण प्रणाली की मरम्मत	5.00
73		2245-02-196-0001-जिला परिषद/जिला स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.10
74		2245-02-197-0001-प्रखण्ड पंचायतों/मध्य स्तरीय पंचायत को सहायता अनुदान	0.20
75		2245-02-800-0008-हॉलिवुड विद्युत प्रणाली हेतु	2.00
76	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-103-0002-सीमा स्थलों का प्रबंधन	0.15
77	42-ग्रामीण विकास विभाग	2515-00-003-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	1.00
78	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0101-शिक्षा	3.30
79		4225-01-277-0601-अनुसूचित जाति के छात्रों एवं छात्राओं के छात्रावास भवन का निर्माण	6.60
80	49-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0102-गॉडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (मार्च)	0.10

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
81	49-जल संसाधन विभाग	4700-02-800-0404-गंडक परियोजना अंतर्गत नेपाल हितकारी योजना	125.00
82		4701-80-005-0101-सर्वेक्षण और रखाव (स्थापना)	0.50
83		4711-01-800-0610-गंगा नदी से कटाव निरोधक योजना	375.00
84		4711-01-800-0114-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	40.00
85	50-लघु जल संसाधन विभाग	4702-00-102-0606-भारत निर्माण योजना	25.00
86		4702-00-102-0103-नई/अधुरी उद्धव सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	5.00
87		4702-00-102-0106-भारत निर्माण योजना	15.00
88	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-001-0103-निदेशन एवं प्रशासन	0.55
89		2235-02-102-0105-सूचना पद्धति प्रबंधन के अंतर्गत समेकित बाल विकास योजना	6.00
90		2235-02-102-0107-दुलार रणनीति योजना	14.45
91		2235-02-106-0105-मंद बुद्धि के बच्चों के अनुदान के लिए विद्यालय की स्थापना	3.00
92		2236-02-101-0802-कुपोषित गर्भवती/शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के लिए खाद्यान्नों के वितरण की विशेष योजना	15.18
93		4235-02-102-0103-वाह्य संपोषित योजना-समेकित बाल विकास योजना	142.89
कुल			1817.18

(स्रोत: विस्तृत विनियोजन लेखा, बिहार सरकार)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/पुनर्विनियोजन का नाम एवं संख्या	कुल अनुदान/ पुनर्विनियोजन	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
राजस्व-दस्तावेज					
1	11-पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	121.37	8.97	12.78	3.81
2	17-सांख्यिक कर विभाग	86.60	30.14	35.63	5.49
3	23-उद्योग विभाग	448.94	157.90	158.98	1.08
4	33-सामान्य प्रशासन विभाग	329.85	65.54	87.65	22.11
5	46-पर्यटन विभाग	8.10	0.35	1.38	1.03
कुल		994.86	262.90	296.42	33.52
भूजीगत-दस्तावेज					
1	10-उर्जा विभाग	1964.10	73.86	291.80	217.94
2	36-स्वीकृत स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	895.81	268.62	272.49	3.87
3	41-पथ निर्माण विभाग	4209.01	133.31	151.43	18.12
कुल		7068.92	475.79	715.72	239.93
महायोज		8063.78	738.69	1012.14	273.45

(स्रोत: राज्य के वित्तियोजन लेखा, 2010-11)

परिशिष्ट 2.10

प्रत्येक मामले में (₹ एक करोड़ और उससे अधिक एवं प्रावधान का 10 प्रतिशत) अभ्यर्पित बचत के राशि की विवरणी

(संदर्भ: कड़िका 2.3.9, पृष्ठ 40)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशतता
1	03-भवन निर्माण विभाग	111.80	54.26	57.54	51.47
2	04-मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	29.05	22.48	6.57	22.62
3	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	48.16	30.00	18.16	37.71
4	12-वित्त विभाग	1230.08	20.53	1209.55	98.33
5	13-ब्याज संदाय	194.48	27.89	166.59	85.66
6	14-ऋण की वापसी अदायगी	87.93	35.90	52.03	59.17
7	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	65.48	9.37	56.11	85.69
8	20-स्वास्थ्य विभाग	501.56	226.39	275.17	54.86
9	21-मानव संसाधन विकास विभाग	1251.35	846.60	404.75	32.35
10	24-सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	6.38	1.94	4.44	69.59
11	26-श्रम संसाधन विभाग	54.59	34.26	20.33	37.24
12	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	185.77	164.60	21.17	11.40
13	37-ग्रामीण कार्य विभाग	179.51	134.49	45.02	25.08
14	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	23.62	7.94	15.68	66.38
15	39-आपदा प्रबंधन विभाग	1356.99	372.13	984.86	72.58
16	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	163.93	121.98	41.95	25.59
17	41-पथ निर्माण विभाग	331.61	296.17	35.44	10.69
18	43-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	44.94	22.41	22.53	50.13
19	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	56.43	47.40	9.03	16.00
20	45-गन्ना उद्योग विभाग	70.55	41.82	28.73	40.72
21	47-परिवहन विभाग	11.15	9.81	1.34	12.02
22	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	1538.90	792.00	746.90	48.53
	कुल	7544.26	3320.37	4223.89	

(₹ करोड़ में)

क्र. सं 0	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	अभ्यर्पित राशि	कुल प्राप्‍त राशि का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	22.04	43.22
2	02	2403-पशुपालन	20.48	85.33
3	09	2425-सहकारिता	15.29	45.71
4	10	2801-उर्जा	43.25	49.88
5		4801- उर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाएँ	267.24	25.70
6		6801- उर्जा परियोजनाओं के लिए कर्ज	19.10	32.32
7	13	2049-ग्राम अर्थव्यवस्था	22.02	16.49
8	14	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	34.43	20.26
9	16	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	329.79	47.19
10	17	2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर	18.37	88.02
11	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	69.17	9.45
12		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परियोजनाएँ	10.16	29.22
13	21	2202-सामान्य शिक्षा	727.85	12.06
14	22	2055-पुलिस	111.95	6.55
15		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	85.67	34.64
16		4055-पुलिस पर पूंजीगत परियोजनाएँ	112.33	48.01
17	30	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	154.91	60.79
18	35	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	66.97	64.43
19	36	4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजनाएँ	238.38	33
20	37	3054-सड़क तथा सेतु	73.18	20.91
21		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजनाएँ	26.40	8.22
22	39	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	276.89	34.95
23	40	2029-सू-राजस्व	75.26	20.49
24	41	3054-सड़क तथा सेतु	28.43	16.12
25		5054-सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परियोजनाएँ	42.26	12.93
26	44	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	20.86	28.42
27	45	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	37.46	49.19
28	49	2700-बृहद सिंचाई	34.81	12.95
29		4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परियोजनाएँ	75.35	30.60
30		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परियोजनाएँ	36.68	70.23
31		4711-खाद नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाएँ	108.80	26.81
32	50	2702-लघु सिंचाई	83.35	13.69
33		4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियोजनाएँ	172.96	75.66
34	51	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	128.94	11
35		2236-पोषण	421.31	42.48
		कुल	4012.34	

(रैंकरोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2010-11 के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 में कुल व्यय	कुल व्यय का प्रतिशतता
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता		
1	2205	19.32	13.22	68.43	9.99	51.70
2	2217	505.16	327.52	64.84	257.89	51.05
3	2402	13.84	10.15	73.35	7.55	54.56
4	2404	47.39	40.37	85.18	27.77	58.60
5	2405	31.84	25.29	79.41	22.63	71.05
6	2435	34.19	31.51	92.16	30.56	89.40
7	2505	269.05	186.64	69.37	167.30	62.18
8	2851	56.52	42.19	74.65	38.05	67.31
9	2852	288.99	185.73	64.27	170.55	59.02
10	3054	632.44	413.57	65.39	320.82	50.73
11	3454	144.34	130.90	90.69	87.64	60.72
12	3604	3.25	3.25	100	3.25	100
13	4055	197.32	169.73	86.02	139.86	70.88
14	4059	118.99	92.42	77.68	79.18	66.54
15	4070	51.72	47.92	92.66	27.41	52.99
16	4210	181.14	180.67	99.74	160.47	88.59
17	4250	14.31	14.31	100	13.75	96.05
18	4406	0.16	0.16	100	0.16	100
19	4425	16.83	16.33	97.03	16.33	97.03
20	4859	9.00	9.00	100	9.00	100
21	4885	9.56	9.56	100	9.56	100
22	5053	0.83	0.83	100	0.83	100
23	6701	0.17	0.17	100	0.17	100
24	6801	878.49	549.87	62.59	519.87	59.18
25	6851	0.15	0.15	100	0.15	100
26	6860	38.69	38.69	100	37.39	96.63
	कुल	3563.69	2540.15		2158.13	

क्र. सं०	मुख्य शीर्ष	(₹ करोड़ में) असमाशोधित राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ शासित प्रदेश विधानमंडल	37.49
2	2014-न्याय प्रशासन	297.03
3	2015-भविष्य	175.20
4	2029-भू-राजस्व	308.38
5	2030-भूजोक्षण एवं सुदृढीकरण	28.30
6	2039-न्याय इत्यादि	28.47
7	2040-बिर्की, व्यापार आदि पर कर	15.69
8	2041-वाहन पर कर	16.04
9	2048-न्याय घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	160.00
10	2049-न्याय भूगतान	4319.03
11	2051-लोक सेवा आयोग	14.66
12	2052-विधायक सामान्य सेवाएँ	67.00
13	2053-जिला प्रशासन	270.34
14	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	44.64
15	2055-पुलिस	2160.63
16	2059-लोक निर्माण कार्य	222.68
17	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	146.89
18	2071-पेशाब एवं अन्य सेवाविवृति लाभ	6143.86
19	2202-सामान्य शिक्षा	6960.94
20	2203-तकनीकी शिक्षा	38.79
21	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	25.51
22	2205-कला एवं संस्कृति	18.28
23	2210-भौतिकशास्त्र एवं लोक स्वास्थ्य	1242.33
24	2211-भौतिक कल्याण	240.35
25	2215-जलापूर्ति एवं सफाई	403.16
26	2216-आवास	550.73
27	2217-शहरी विकास	505.16
28	2220-सूचना तथा प्रचार	34.46
29	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	523.19
30	2230-श्रम एवं रोजगार	64.04
31	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1011.48
32	2236-पोषाहार	532.46
33	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	529.30
34	2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ	167.65
35	2251-विधायक सामाजिक सेवाएँ	24.03
36	2401-मकसल कृषि-कर्म	1318.10
37	2403-पशुपालन	159.97
38	2404-राज्य विकास	41.43
39	2405-राज्य पालन	14.46
40	2406-यानिकी तथा वन्य प्राणी	104.37
41	2408-खाद्य, भंडारण तथा भंडारण	10.17
42	2415-मृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	158.23
43	2425-सहकारिता	39.75
44	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	32.34
45	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	160.22
46	2505-ग्राम नियोजन	205.60
47	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1510.70

परिशिष्ट 2.13

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	असमाशोधित राशि
48	2700-वृहत सिंचाई	171.08
49	2701-मध्यम सिंचाई	58.44
50	2702-लघु सिंचाई	540.49
51	2705-कमांड क्षेत्र विकास	80.26
52	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	125.17
53	2801-उर्जा	1170.00
54	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	21.30
55	2852-उद्योग	265.05
56	3054-सड़क तथा सेतु	616.56
57	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	32.45
58	3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	142.16
59	3456-सिविल पूर्ति	136.44
60	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	23.26
61	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	197.32
62	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	118.99
63	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	31.91
64	4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	130.09
65	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	164.98
66	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	626.77
67	4225-अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	28.79
68	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	85.79
69	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	14.31
70	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	16.83
71	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय	1113.80
72	4700-वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	519.20
73	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	39.12
74	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	57.35
75	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	702.20
76	4801-उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1007.23
77	5054-सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	4058.24
78	5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	12.51
79	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	26.55
80	5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	26.19
	कुल	43444.37

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	(रक़रोड़ में) राशि
1	2011	राज्य विधान मंडल	विधान परिषद सचिवालय का वेतन	0.26
2	2012	राज्यपाल	मोटर वाहन का कय	0.06
3	2014	न्यायिक प्रशासन	नई मोटर वाहन का कय (चार बार)	1.27
4		न्यायिक प्रशासन	चिकित्सा ख्य	0.25
5		न्यायिक प्रशासन	परिवार न्यायालय के वेतन एवं अन्य ख्य	3.75
6		न्यायिक प्रशासन	सिविल एवं सत्र न्यायालय के लिए वेतन (दो बार)	40.45
7	2015	निवृत्ति	लोक सभा चुनाव के लिए यात्रा ख्य	0.69
8	2052	सामान्य सेवाएं-सचिवालय	जे.पी. सेनानी सम्मान योजना	0.95
9		सामान्य सेवाएं-सचिवालय	मोटर कार का कय (चार बार)	0.42
10		सामान्य सेवाएं-सचिवालय	सुरक्षामंत्री की बैठक पर ख्य	0.20
11		सामान्य सेवाएं-सचिवालय	सौरभ का कय	0.12
12		सामान्य सेवाएं-सचिवालय	भाड़ा पर लिए गए वाहन पर ख्य	0.11
13		सामान्य सेवाएं-सचिवालय	वेतन एवं भत्ते	1.20
14	2053	जिला प्रशासन	मोटर कार के लिए ख्य	0.24
15	2054	बोझागर एवं लेखा प्रशासन	भविष्य निधि लेखा के संयोजन पर ख्य	0.35
16	2055	पुलिस	सिगाही की भर्ती (दो बार)	12.09
17		पुलिस	बिहार पुलिस अकादमी के लिए ख्य	1.00
18		पुलिस	स्पेशल टास्क फोर्स पर ख्य	0.15
19		पुलिस	यातायात का नियंत्रण एवं रख-रखाव	0.44
20		पुलिस	वेतन एवं भत्ते	16.00
21		पुलिस	बिहार पुलिस भवन का मरम्मत एवं रख-रखाव	17.20
22	2056	कारागार	जिला कारागार पर ख्य	5.19
23		कारागार	वेतन की अदायगी	0.20
24	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	नगरिक सुरक्षा संवेधन पर ख्य	0.23
25		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	मोटर वाहन का कय (दो बार)	0.08
26		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	नागरिक सुरक्षा	0.10
27		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	वेतन एवं भत्ते	0.35
28		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	अन्वेषण ख्य पर ख्य	0.56
29		अन्य प्रशासनिक सेवाएं	बिहार भवन का स्थापना	0.46
30	2071	पैशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	सेवानिवृत्त न्यायधीशों एवं उनके परिवार पर चिकित्सा ख्य	0.50
31	2202	सामान्य शिक्षा	छात्रवृत्ति (दो बार)	11.90
32	2205	कला एवं संस्कृति	श्री कृष्ण सेवा मंदन, मुंगेर के लिए ख्य	0.39
33		कला एवं संस्कृति	कला और संस्कृति का सर्वेक्षण	1.50
34	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	वेतन एवं अन्य भत्ते (दो बार)	0.99
35	2230	भ्रम एवं रोजगार	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों के लिए	0.22
36		भ्रम एवं रोजगार	डीडी भ्रमियों का गृह निर्माण	2.24
37	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	मानवधिकार आयोग के लिए ख्य	0.70
38		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	परिवार एवं बाल कल्याण पर ख्य	1.06
39		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	विकलांगों के लिए दिव्यांगता यात्रा योजना	0.35
40		सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	लड़कियों के लिए सुरक्षा योजना	39.00
41	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	धार्मिक संस्थाओं को अनुदान	1.00
42		अन्य सामाजिक सेवाएं	छात्रों को पारितोषिक	8.00

परिशिष्ट 2.14

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
43	2251	सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं	मोटर वाहन के लिए (दो बार)	0.33
44	2401	कृषि विभाग	किसानों को सहायता	61.80
45		कृषि विभाग	कृषि कार्य हेतु क्रय (दो बार)	320.75
46	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	वनों का सुरक्षा एवं संवर्धन	2.91
47		वानिकी तथा वन्य प्राणी	वेतन एवं अन्य व्यय	0.63
48	2700	बृहत् सिंचाई	मोटर वाहन के लिए	0.11
49	2801	उर्जा	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के उर्जा पर व्यय	90.00
50	2852	उद्योगों	वाणिज्यिक विशेष सेवा का भुगतान	0.35
51		उद्योगों	मोटर वाहन के लिए	0.06
52	3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	जनगणना कार्य	1.00
53	3456	नगर आपूर्ति	उपभोक्ता सहायता के लिए	0.28
54	4215	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	ग्रामीण स्वच्छता पर व्यय	30.00
55	6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	चीनी मिल को उधार	0.48
कुल				680.92

(₹ करोड़ में)

बजट प्रावधान	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूँजीगत (दत्तमत)	पूँजीगत (भारित)	कुल
मूल प्रावधान	725.60	0.00	2,279.76	0.00	3,005.36
अनुपूरक प्रावधान	251.91	0.00	752.95	0.00	1,004.86
कुल	977.51	0.00	3,032.71	0.00	4,010.22
व्यय	746.75	0.00	1309.81	0.00	2056.56
बचत	230.76	0.00	1722.90	0.00	1953.66
बचत अभ्यर्पण	211.49	0.00	1600.91	0.00	1812.40

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/योजनाएं	बजट प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	पुनरीक्षित प्रावधान	व्यय	बचत
योजनाएं							
1	4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 02-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं 800-अन्य व्यय 0404-नेपाल हितकारी योजना	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00
2	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 80-सामान्य 005-सर्वेक्षण एवं अन्वेषण 0101-स्थापना	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50
3	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0114-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
4	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0610-गंगा नदी से कटाव निरोधक योजना	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00
5	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 01-बाढ़ नियंत्रण 800-अन्य व्यय 0611-जल निस्सारण परियोजनाएं	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
कुल		541.50	0.00	541.50	1.00	0.00	541.50

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष/वित्तृत शीर्ष/योजनावार	कुल	पुनर्विनियोजन वस्त (-) आधिक्य (+)	अंतिम अनुदान या पिनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+)
1	2700-बृहद सिंचाई, 02-नॉडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 0001-स्थापना	99.53	(-)11.95	87.58	87.66	0.08
2	2701-मध्यम सिंचाई, 03-वाणिज्यिक मध्यम सिंचाई (सोन बेसिन), 101-मरम्मत एवं रख-रखाव, 0002-अन्य रख-रखाव व्यय	19.65	(-)1.29	18.36	33.82	15.46
3	2701-मध्यम सिंचाई, 04-वाणिज्यिक मध्यम सिंचाई, 101-मरम्मत एवं रख-रखाव, 0002-अन्य रख-रखाव व्यय	8.85	(+)0.31	9.16	9.17	0.01
4	2701-मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 001-निदेशन एवं प्रशासन, 0001-मुख्यालय सचिवालय स्थापना (अभियंता प्रमुख)	12.25	(-)5.39	6.86	8.34	1.48
5	2701-मध्यम सिंचाई, 80-सामान्य, 190-लोक उपकरणों एवं अन्य उपकरणों को सहायता, 0001-भूमि एवं जल प्रबंधन संस्थान को सहायता अनुदान	4.50	0.00	4.50	4.53	0.03
6	4700-बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 0101-राष्ट्रीय सम विकास योजना	200.00	(-)62.29	137.71	141.73	4.02
7	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 04-मध्यम सिंचाई, 800-अन्य व्यय, 0103- फिजल षधुआ पंदन बेसिन पर सिंचाई परियोजना (कार्य)	25.60	(-)18.59	7.01	7.02	0.01
	कुल	370.38	(-)99.20	271.18	292.27	21.09

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखे के मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता
1	2701-मध्यम सिंचाई (राजस्व)	85.88	52.10	60.67	40.99	47.73
2	4700-वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	564.73	327.39	57.97	213.01	37.72
3	4701-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	42.00	19.96	47.52	13.07	31.11
4	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	702.90	399.91	56.89	263.50	37.49
5	6701-मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	0.17	0.17	100.00	0.17	100.00
	कुल	1395.68	799.53	57.28	530.74	38.02

क्र.सं.	निकाय का नाम	सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक के लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक के प्रयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किए गए	लेखे प्राप्त करने की तिथि	प्रयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तिथि	वित्तीयिका में प्रयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट स्वी गईं	लेखे जमा करने में विलंब	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	बिहार राज्य खादी ग्रामीण बोर्ड, पटना	2002-03	2007-08	1989-90 से 1998-99 1999-2000 से 2001-2002 2002-03	2007-08 तक लेखे प्राप्त	30 मई 08 28 अप्रैल 09 14 मई 10	स्वीकृत नहीं किए गए	-	सुपुर्दगी अभी लंबित है
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2003-04	2006-07	1994-95 से 1998-99 1999-2000 से 2002-03 2003-04	2006-07 तक लेखे प्राप्त	31 दिसम्बर 08 20 नवम्बर 09 13 मई 10	स्वीकृत नहीं किए गए	-	सुपुर्दगी अभी लंबित है
3	बिहार राज्य शिक्क सेवा प्रधिकरण, पटना	स्वाई	2010-11	2009-10	02 जून 11	06 दिसम्बर 10	स्वीकृत नहीं किए गए	-	-
4	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय मूसा, समस्तीपुर	2010-11	2009-10	2006-07 2007-08 2008-09	13 अक्टूबर 10	14 अक्टूबर 10 11 अप्रैल 11 23 मई 11	सर्वकार द्वारा स्वीकृत प्रयुक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1971-72 से 1994-95, 1998-99 से 2001 और 2003-04 से 2006-07 तक की अवधि के लिए सर्वकार को पहले ही भेजा जा चुका है जो वित्तीयिका में रखे जाते भी सुचना प्रसारित है।	3 माह 13 दिन	-

क्रम सं.	विभाग/कार्यालय/निधि का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	मामलों की कुल संख्या
1	पथ निर्माण	6	01	07
2	जल संसाधन	11		11
3	भवन निर्माण	01		01
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	02		02
5	ग्रामीण विकास	635	81	716
6	श्रम संसाधन	03		03
7	उद्योग	02		02
8	समाज कल्याण	117		117
9	गृह	24		24
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33		33
11	भू-अर्जन	11		11
12	सामान्य प्रशासन	15		15
13	विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य निधि	01		01
14	सहकारिता	01		01
15	निर्वाचन	04		04
16	व्यवहार न्यायालय	01		01
17	पशुपालन एवं मतस्य संसाधन	12		12
18	मानव संसाधन विकास	32		32
19	नगर विकास एवं आवास	25	04	29
20	पर्यावरण एवं वन	02		02
21	जिला उप-निबंधक	01		01
22	ग्रामीण कार्य	08		08
23	लघु जल संसाधन	01		01
	कुल	948	86	1034

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग/कार्यालय/विधि का नाम	गबन, दुर्विनियोजन, हानि तथा चोरी	
		संख्या	राशि
1	पथ निर्माण	07	2.59
2	जल संसाधन	11	13.19
3	श्रम निर्माण	01	0.33
4	लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण	02	2.46
5	ग्रामीण विकास	716	328.36
6	श्रम संसाधन	03	0.62
7	उद्योग	02	5.67
8	समाज कल्याण	117	12.66
9	शूद्र	24	1.52
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	33	5.26
11	शू-अर्जन	11	3.80
12	सामान्य प्रशासन	15	6.73
13	विधान सभा सदस्य/विधान	01	0.02
14	सहकारिता	01	2.66
15	निर्वाचन	04	1.43
16	खवहार न्यायालय	01	0.29
17	घणुपालन एवं मतस्थ संसाधन	12	5.18
18	मानव संसाधन विकास	32	11.66
19	नगर विकास एवं आवास	29	3.33
20	पर्यावरण एवं वन	02	0.39
21	जिला उप-निबंधक	01	0.26
22	ग्रामीण कार्य	08	0.74
23	लघु जल संसाधन	01	नगण्य
	कुल	1034	409.15

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष कोड	नामावली	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय	कुल व्यय	(₹ करोड़ में)
					लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशतता
1	2041	वाहन कर	12.00	16.92	70.92
2	2217	शहरी विकास	353.35	505.16	69.95
3	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	184.19	184.33	99.92
4	2501#	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	172.47	172.92	99.74
5	2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	891.97	1548.10	57.62
6	3452	पर्यटन	3.07	6.04	50.83
7	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	38.80	51.75	74.98
8	4235 #	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	89.31	88.46	100.96
9	4700	वृहत सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	467.96	564.73	82.86
10	4701	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	37.33	42.00	88.88
11	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1007.23	1007.23	100
12	4859	दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	9.00	9.00	100
13	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	26.55	26.55	100
		कुल	3293.23	4223.19	

औसत प्रतिशतता 77.98

(#) इनमें कमशः ₹ 0.45 एवं ₹ 0.85 करोड़ की वापसी लेखा शामिल है (जिसमें निधि शीर्ष का स्थानांतरण भी शामिल है) फलतः इसकी प्रतिशतता 100 से अधिक है ।

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष कोड	नामावली	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	(₹ करोड़ में) लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	70.63	139.02	50.81
2	0059	लोक निर्माण	6.72	6.73	99.85
3	0075	विविध सामान्य सेवार्यें	0.21	0.34	61.76
4	0211	परिवार कल्याण	0.03	0.04	75.00
5	0216	आवास	2.84	4.74	59.92
6	0217	शहरी विकास	0.03	0.03	100
7	0235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2.32	2.38	97.48
8	0250	अन्य सामाजिक सेवार्यें	5.13	5.27	97.34
9	0404	ग्राम्य विकास	0.05	0.05	100
10	0425	सहकारिता	0.07	1.30	53.85
11	0506	भूमि सुधार	0.08	0.09	88.89
12	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.94	21.93	95.49
13	0852	उद्योग	88.36	88.36	100
14	1054	सड़क एवं सेतु	35.96	39.60	90.81
15	1055	सड़क परिवहन	0.19	0.23	82.61
16	1456	शिथिल आपूर्ति	0.05	0.05	100
		कुल	233.61	310.16	

औसत प्रतिशत 75.36